राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–499/2008/भरतपुर

मैसर्स आर.पी.गोयल कॉन्ट्रेक्टर,
डीग, भरतपुर ....अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
डीग, भरतपुर
2. उपायुक्त(अपील्स) वा.क., भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 189/उपा–भरत/02–03/आरएसटी में पारित आदेश दिनांक 08.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, डीग वृत्त–अ, भरतपुर (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2001 को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 11.10.2001 को वाहन संख्या आरजे–27/जी–2814 को चैक किया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने बिल्टी, चालान व इनवॉयस पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल में 15 ड्रम डीग व 35 ड्रम डाबर महुवा खाली होना है। इस प्रकार डीग व महुवा के लिये परिवहनित माल 50 ड्रम का कोई भी दस्तावेज नहीं होने के कारण, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, नोटिस की पालना में अपीलार्थी के अ0प्र0 द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने कर योग्य माल कीमतन रू0 1,04,120/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति राशि रू0 31,236/– अपीलार्थी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 12.01.2001 द्वारा अधिरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08.11.2007 द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल बिटुमिन राजस्थान के बाहर से पंजीकृत व्यवसायी से सी–फार्म के विरूद्ध खरीद किया गया था। परिवहनित माल के साथ सभी दस्तावेज मौजूद थे जिन पर समस्त विगत अंकित थी। अपीलार्थी मैसर्स जी.आर.अग्रवाल बिल्डर्स, उदयपुर का सब–कॉन्ट्रेक्टर है अतः उसके नाम से माल का परिवहन किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी ने करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित किये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपित कर दी। उनका निवेदन था कि आरोपित शास्ति अपास्त की जावे एवं अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जावे।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकारी की पत्रावली में शास्ति में जी.आर.अग्रवाल के नाम में काटी गई है, जबकि अपील आर.पी.गोयल द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेकार्ड के अवलोकल से स्पष्ट है कि वाहन चालक/माल प्रभारी ने बिल्टी, चालान व इनवॉइस पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल में 15 ड्रम डीग व 35 ड्रम डाबर महुवा खाली होना था। इस प्रकार डीग व महुवा के लिये परिवहनित माल 50 ड्रम का कोई भी दस्तावेज परिवहनित माल के साथ नहीं होने के कारण, सशक्त अधिकारी ने जो शास्ति आरोपित की है, वह विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी शास्ति को यथावत रखने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष